

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2003 (श्रावण 9, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्प्रिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरेत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के शक्तिहार कारखानों के प्रबंधकों द्वारा गत्रा उत्पादक कृषकों एवं कर्मचारियों को भूगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री शेखर चौधरी, नित्यनिरंजन खम्परिया, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु पहल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री बृजबिहारी पटेरिया, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

4. वर्ष 2003-2004 की प्रथम अनुपूरक मांगों यर मतदान

निर्धारित

समय

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,34,36,37,39,41,42,44,45,46,47,48,51, 55,56,57,59,60,63,64,65,66,67,68,71,72,75,77,79,80,81,82,84,85,86,88,92 एवं 94 के लिए राज्य की सचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार आठ सौ छियासठ करोड़, उनसठ लाख, चौदह हजार, चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय।"

1 घण्टा

30 मि.

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2003 (क्रमांक 24 सन् 2003) का पुरस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) विधेयक, 2003 (क्रमांक 23 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घण्टा

30 मि.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(शेष 1

घ.10मि.)

धोपाल

दिनांक : 30 जुलाई, 2003

डॉ. ए.के. पाण्डी

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.